न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

पांचुराम बनाम [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

अपील 251 RTA प्र.नं. 4/2022

08.2025 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने सहमति व्यक्त की। वकील अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में प्रार्थना पत्र दरख्वास्त प्रारम्भिक आपत्ति व मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र दरख्वास्त प्रारम्भिक आपत्ति व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली दिनांक 19.08.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

24.09.2025 अभिभाषक संघ श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्व व न्यायिक अदालतों में कार्य स्थगन करने पर निर्धारित पेशी 19.08.2025 को निर्णय नहीं सुनाया जा सका तथा आज न्यायालय में हड़ताल समाप्त होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र दरख्वास्त प्रारम्भिक आपत्ति व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुने एक माह से भी अधिक का समय हो जाने से प्रार्थना पत्र दरख्वास्त प्रारम्भिक आपत्ति व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान पुनः सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र दरख्वास्त प्रारम्भिक आपत्ति व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली दिनांक 25.09.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:14 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

25.09.2025 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र दरख्वास्त प्रारम्भिक आपत्ति व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रा.पत्र 251R1A

पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में वकील अप्रार्थी संख्या 18 की ओर से
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दरख्वास्त प्रारम्भिक आपत्ति का पेश किया जाकर
अप्रार्थी संख्या 4 व 10 के द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 559
रकबा 3.85 हैक्टर व खसरा नम्बर 534 से 537, 539, 560, 561
कुल किता 7 कुल रकबा 4.19 हैक्टर तन् गाम हांसपुर पर अप्रार्थी
संख्या 18 से कृषि ऋण प्राप्त कर अपना हिस्सा बैंक के नाम बतौर
प्रतिभूति रहन रखे जाने पर नामान्तकरण एक्सिस बैंक लिमिटेड
शाखा श्रीमाधोपुर के नाम रहन दर्ज हो चुका है। बैंक के नाम रहन
होने के कारण एक्सिस बैंक के अधिकारों को सुरक्षित रखे जाने व
बैंक के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडने की स्थिति में प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को
स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नही होना अवगत कराया है।
वही दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251
(ए) में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम हांसपुर
तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थीगण ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 567
रकबा 2.17 हैक्टर भूमि व रिहायशी मकान में आने जाने हेतु भूमि
खसरा नम्बर 534 रास्ता आम से 12 फुट चौडाई का रास्ता
अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 की खातेदारी व कब्जा काश्त की
कृषि भूमि खसरा नम्बर 559 रकबा 3.8500 हैक्टर तन् ग्राम हांसपुर
मे से होकर नजरी नक्शा में दर्शितानुसार कदीम से चला आ रहा है।
जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में
आवागमन करते आ रहे है तथा अपने साधन वाहन इत्यादि को
काश्त कार्य एंव कृषि उपज आदि को बाजार में लाने ले जाने हेतु
काम में ले रहे है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से आते जाते रहे है। उक्त
रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में बन्द कर रास्ते पर अतिक्रमण
कर रास्ता को अवरूद्ध करना चाहते [illegible] रास्ते के अलावा
प्रार्थीगण के पास अन्य [illegible] जाने के
लिए नहीं है। उक्त रास्ता ही लघुत्तम व [illegible]टतम रास्ता है। जिसे
राजस्व रिकार्ड व नक्शों में रास्ते के रूप में गै0 मु0 रास्ता दर्ज
करवाया जाना आवश्यक है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये
गये प्रस्ताव अनुसार भूमि खसरा नम्बर 559 रकबा 3.85 हैक्टर में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

[illegible]

880 वर्गमीटर भूमि रास्ते के लिए नजरी नक्शा में प्रस्तावित की है तथा उक्त भूमि के बदले में खसरा नम्बर 567 की [illegible] सीमा के सहारे सहारे रास्ते में आ रही भूमि के बदले भूमि [illegible] के रूप में लिये जाने हेतु सहमत होने बाबत अप्रार्थीगण से अपनी बहस में निवेदन किया है।

वहीं दौराने बहस अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि अप्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 3.85 हैक्टर में से 880 वर्गमीटर भूमि रास्ते के लिए नजरी नक्शा में प्रस्तावित अनुसार रास्ता जमीन के बदले जमीन लिये जाने की शर्त पर कोई आपत्ति नहीं होने बाबत सहमति व्यक्त करते हुए प्रार्थीगण को इसी अनुसार रास्ता देने हेतु अपनी बहस में निवेदन किया है।

हमने बहस मुकदमा उभय पक्षकारान पर सगौर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नम्बर 567 रकबा 2.17 हैक्टर भूमि व रिहायशी मकान में आने जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 574 रास्ता आम से 12 फुट चौड़ाई का रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 3.8500 हैक्टर वाके ग्राम [illegible] में [illegible] नजरी नक्शा में दर्शितानुसार रास्ता की काश्त कार्य एवं कृषि उपज आदि को बाजार में लाने ले जाने हेतु रास्ते आवश्यकता होना तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को अपने निजी आवागमन में आने हेतु वर्तमान में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना एवं ना ही वैकल्पिक रास्ता ही उपलब्ध होना तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निकटतम होना प्रकट होता है। उक्त रास्ते हेतु [illegible] प्रार्थीगण ने भी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा [illegible] रास्ता जमीन के बदले जमीन लिये जाने की शर्त पर कोई आपत्ति नहीं होने बाबत सहमति व्यक्त करते हुए प्रार्थीगण को इसी अनुसार रास्ता देने हेतु सहमत होना प्रकट होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:14 IST
Reason: SelfAttested

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (क) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
	[illegible]

[illegible] के सम्बन्ध में एक राज्य सरकार की [illegible] को [illegible] कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/[illegible] को ले जाने बाबत लघुतम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। प्रार्थीगण ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ता लिये जाने बाबत अवगत कराया गया है। अप्रार्थीगण ने भूमि खसरा नम्बर 559 रकबा 3.8500 हैक्टर तन ग्राम [illegible]पुर में से होकर नजरी नक्शा में दर्शितानुसार रास्ता देने हेतु सहमति प्रकट की है। अतः प्रार्थीगण के पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 4 मीटर चौडाई का रास्ता दिये जाने बाबत अप्रार्थीगण द्वारा सहमति व्यक्त कर दिये जाने से रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत को सुविधाजनक उपयोग हेतु नही होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा मुख्य सड़क व मुख्य आबादी से निकटतम /लघुत्तम होने के कारण प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थीगण द्वारा 4 मीटर चौडाई में चाहे गये रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली [illegible] सरकार [illegible] किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व [illegible] है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:14 IST
Reason: SelfAttested

अतः [illegible] अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को [illegible] किया [illegible] है तथा आदेश दिया

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]पुर (सीकर)
[illegible]पुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] 251 RTA [illegible] 4/2022	

जाता है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 567 रकबा 2.17 हैक्टर भूमि अवस्थित तन ग्राम हासपुर तहसील श्रीमाधोपुर में रिहायशी मकान मे आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 559 रकबा 3.8500 हैक्टर तन ग्राम हासपुर में से होकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये नजरी नक्शा में दर्शितानुसार रास्ता जिसके बदले में रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि के बदले उतनी ही भूमि प्रार्थीगण अपने भूमि खसरा नम्बर 567 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे अप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति में भूमि देगा / अप्रार्थीगण के नाम करायेगा। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार भूमि की गणना की जाकर प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में जा रही भूमि के बराबर भूमि अप्रार्थीगण के नाम करवाये जाने पर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 559 में रास्ता लाल स्याही से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 567 में आवागमन हेतु 4 मीटर चौडाई का रास्ता कायम कर रिकार्ड में दर्ज करेंगे। उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ता में लगने वाली भूमियॉ बिला नाम सरकार किस्म गै०मु० रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (उक्त रास्ता दर्ज करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा को निर्णय का भाग माना जाता है। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदारान् के हिस्से पर यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जाकर तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:14 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक [illegible].2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)